न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

प्रकरण क्र.

1. नीरजनारायण तनय हरीशंकर अग्रवाल
2. सूरज नारायण तनय हरीशंकर अग्रवाल
   दोनों निवासी राजनगर तह. राजनगर
   हाल निवास राधिका कालोनी, वार्ड क्र 7,
   खुजराहो जिला छतरपुर ....आवेदकगण

विरूद्व

1. म.प्र.शासन द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर परिषद खुजराहो जिला छतरपुर
2. सक्षम प्राधिकारी कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक मध्य क्षेत्र
   भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण म.प्र. ....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण निम्नलिखित प्रार्थना करता है :–

1. यह कि, आवेदकगण द्वारा एक निगरानी जिसका प्रकरण क्रमांक 2108–एक / 16 प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27 / 6 / 16 को अपना अंतिम आदेश आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया था, परंतु माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश में अनावेदक क्र 2 को आदेशित किया जाना त्रृटिवश लेख नहीं किया गया है। तथा आदेश दिनांक 27 / 6 / 16 में जो माननीय न्यायालय द्वारा समय अवधि निर्धारित की गयी थी उसको आगामी एक माह तक के लिए बढाया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है।

2. यह कि, उपरोक्त संशोधन माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 / 6 / 16 में लेख किया जाना आवश्यक है जिससे माननीय न्यायालय के आदेश का पूर्ण क्रियावन्न अधीनस्थ न्यायालय व अधिकारियों द्वारा किया जा सके तथा

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 9270-I/16 जिला ....छतरपुर..........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-11-16	1— आवेदकगण अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 पर प्रकरण आज लिया गया। 2— आवेदकगण द्वारा बताया गया है कि इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण क्रमांक 2108–एक / 16 पक्षकारान् नीरजनारायण विरूद्व म.प्र.शासन पारित आदेश दिनांक 27 / 6 / 16 के द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया था। आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा निगरानी में संशोधन किए जाने का निवेदन कर पैरा 7 शामिल किए जाने का तथा प्रार्थना को भी संशोधित किए जाने का निवेदन किया गया साथ ही साथ सक्षम प्राधिकारी कार्यालय क्षेत्रिय निदेशक मध्य क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण म.प्र, को पक्षकार 2 के रूप में समायोजित किए जाने का भी निवेदन किया गया है। उनके द्वारा बताया कि उक्त संशोधन के परिपेक्ष में आदेश के अंतिम पैरा अर्थात् पैरा क्रमांक 4 में सक्षम प्राधिकारी कार्यालय क्षेत्रिय निदेशक मध्य क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि पूर्व में त्रृटि के कारण लेख नहीं किया गया है को लेख किए जाने का निवेदन किया तथा उनके द्वारा निवेदन किया गया कि अवधि को एक माह और बढाया जावे। अतः आवेदकगण द्वारा यह आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 3— आवेदकगण अधिवक्ता के तर्क सुने व आदेश का अवलोकन किया। आवेदकगण के तर्क से सहमत होते हुए निगरानी मेमो में उक्त संशोधन स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत आवेदन पत्र का पैरा 3 निगरानी मेमो का पैरा 7 एंव अनावेदक क्र 2 को पक्षकार मान्य किया जाता है तथा इस न्यायालय के प्रकरण क्र 2108–एक / 16 मे पारित आदेश दिनांक 27 / 6 / 16 के पैरा क्र 4 में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् खुजराहो एंव सक्षम प्राधिकारी कार्यालय क्षेत्रिय निदेशक मध्य क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण म.प्र. पढा जावे तथा	

विविध - 9270-ग/16 (क्रमांक)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उक्त आदेश में वर्णित अवधि अनावेदक क्र 2 के लिए इस आदेश दिनांक से एक माह की अवधि तक बढाया जाता है। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	